संख्या-100/2020/2896/71-1-2020-जी-132/2018टी0सी

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 28 अगस्त, 2020

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के सर्जरी विभाग में 08 माड्युलर ओ0टी0 की स्थापना हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/157, दिनॉक 06-07-2020 के संदर्भ में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के सर्जरी विभाग में 08 माड्युलर ओ0टी0 की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 2081.58 लाख + जी0एस0टी0 अतिरिक्त (नियमानुसार देय) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 267.49 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी।

2- आपके उक्त पत्र दिनॉक 06-07-2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के सर्जरी विभाग में 08 माड्युलर ओ0टी0 की स्थापना हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्याकंन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 1367.14 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- प्रायोजना का कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।
2- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाये, जिसकी देखरेख में उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराया जाये।
3- नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये, यदि आवश्यक हो।
4- प्रायोजना प्रस्ताव में प्रस्तावित माड्युलर ओ0टी0 संबंधी कार्यमदों की लागत कोटेशन/बाजार दर पर प्रस्तावित की गई है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं/अधिकृत वितरकों से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त करे। चूँकि यह विशेष श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, मॉडल एवं स्पेशिफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय एवं ध्यान रखते हुए विभागीय पद्धति द्वारा कार्य कराया जाये।
5- आगणन एवं मूल्यांकन में अंकित विशिष्टियो, मेक/ब्राण्ड को सुनिश्चित करते हुए ही समस्त कार्य कराये जाये, इसमें किसी प्रकार का विचलन होने पर पुन: मूल्याकंन आवश्यक है।
6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के कराये जाने के फलस्वरूप प्राप्त पुरानी सामग्री के समुचित निस्तारण के संबंध में महानिदेशक के स्तर पर एक समिति का गठन किया जाये तथा इसी समिति की देख-रेख में प्राप्त सामग्री का उपयोग/अनुपयोग का निस्तारण वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये तथा निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/महानिदेशक को होगा।
8- प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाये।
9- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिसमें कोई कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहींकिया जायेगा।
7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
8- प्रायोजना के कार्यान्वयन हेतु कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य /कार्यदायी संस्था की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9- प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24 मार्च, 2020 एवं शासनादेश दिनॉक 07 एवं 11 अप्रैल, 2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-776/दस-2020, दिनॉक 24 अगस्त, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:- 100/2020/2896(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।